


आज दिनांक 04.09.19 को "जल-जीवन-हरियाली" अभियान हेतु लघु जल संसाधन विभाग में अतिरिक्त अभियंताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही।

1. लघु जल संसाधन विभाग द्वारा सरकार से यह अनुरोध किया गया कि "जल-जीवन-हरियाली" अभियान को व्यापक स्तर पर करने हेतु विभाग को अतिरिक्त अभियंताओं की आवश्यकता पड़ेगी। इस क्रम में प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, सचिव, जल संसाधन विभाग तथा सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता लघु जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु विमर्श किया गया।
2. बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि पथ निर्माण विभाग 5 कार्यपालक अभियंता 5 सहायक अभियंता तथा 15 कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग-2 कार्यपालक अभियंता 10 कनीय अभियंता तथा जल संसाधन विभाग-2 सहायक अभियंता एवं 20 कनीय अभियंता उपलब्ध करायेंगे। उपरोक्त पर संबंधित विभाग शीघ्र सरकार का आदेश प्राप्त करे एवं 15.09.2019 तक संबंधित पदाधिकारियों की सेवा लघु जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाय।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।



(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

पत्रांक- 6261

पटना, दिनांक:- 04.09.19


प्रतिलिपि:-विकास आयुक्त, बिहार/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(के० के० पाठक)
प्रधान सचिव।

पत्रांक:- 6261

पटना, दिनांक:- 04.09.19


प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/सचिव, जल संसाधन विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव।

पत्रांक:- 6261

पटना, दिनांक:- 04.09.19

प्रतिलिपि:-अपर सचिव(श्री मीणा एवं श्री प्रकाश)/संयुक्त सचिव/उप सचिव/मुख्य अभियंता (यो०)/अधीक्षण अभियंता (अन०), लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव।